

महिला शोधार्थियों की दो लाख तक की फीस वहन करेगी सरकार

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. महिला शोधार्थियों को टिस्क (टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेन्टर) से जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें अपने उत्पाद के पेटेंट करने के दौरान ड्राफ्टिंग, ट्रेडमार्क एवं डिजाइन की निःशुल्क सुविधा मिल सके। इस सुविधा से शोधार्थी की व्यय होने वाली 50 हजार से 2 लाख रुपए तक की फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी। शुक्रवार को बिड़ला साइंस टेक्नोलॉजी सेन्टर में

बौद्धिक सम्पदा अधिकार, कॉपीराइट एवं पेटेंट पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव मुग्धा सिन्हा ने कही।

उन्होंने कहा कि पेटेंट के मामले में स्टार्टअप को ही टिस्क से निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही थी, अब महिला शोधार्थी को भी यह सुविधा मिलेगी। कई विवि. के प्रोफेसर एवं शोधार्थी जयपुर नहीं आ सकते, अब उन्हें विवि. में पेटेंट,

बौद्धिक सम्पदा एवं कॉपीराइट के बारे में जानकारी मिल सके, इसके लिए विशेषज्ञों को विश्वविद्यालय में भेजा जाएगा। कार्यशाला में केंद्र सरकार की पेटेंट फेसिलिटेटिंग सेन्टर, नई दिल्ली की निदेशक डॉ. संगीता नागर एवं भारतीय पेटेंट कार्यालय, नई दिल्ली की डिप्टी कंट्रोलर डॉ. कविता टांक ने विचार रखे। जयपुर, उदयपुर, कोटा व टोंक सहित अन्य जिलों के 20 विवि. की महिला शोधार्थी, महिला प्रोफेसर एवं लॉ की छात्राएं मौजूद थीं।